

9  
06/10/21

Form No-111

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

पृथ्वीराम नि 05.N.P. बनाम सरकार

किसम मुकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 42 सन् 2021

जो.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
06/10/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>मुक्तलावा</u>                      रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021 /                      दिनांक 06-10-21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग                      अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>शिवला</u>                      में प्रार्थी के नाम चक <u>5.N.P.</u> की जमाबंदी सम्बत                      2075 के खाता सं <u>28</u> में <u>पृथ्वीराम</u>  <del>पुत्र पतराम डू टिं जाति विष्णोई सां देह</del>  <del>शवादेवर शक्ति टिं डू रिडीकेट बैंक शाखा</del>                      कडडा-जोहड (शिवला) दर्ज है।                      के स्थान पर वर्तमान में बैंक का नाम परिवर्तन                      के कारण केनरा बैंक शाखा                      कडडा-जोहड (शिवला) किया जावे।</p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंघा की हैं।                      प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प                      कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार                      दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति                      जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब                      तहसीलदार <u>मुक्तलावा</u> रायसिंहनगर की अनुशंघा                      के आधार पर वाके चक <u>5.N.P.</u> तहसील                      रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत <u>2075</u>                      के खाता सं <u>28</u> में <u>पृथ्वीराम</u>  <del>डू टिं जाति विष्णोई सां देह शवादेवर शक्ति टिं डू</del>  <del>रिडीकेट बैंक शाखा कडडा-जोहड (शिवला) दर्ज है।</del>                      के स्थान पर                      वर्तमान में बैंक का नाम परिवर्तन के                      कारण केनरा बैंक शाखा कडडा-जोहड,                      (शिवला) किया जावे।</p> <p>की दुरुस्ती करने                      के आदेश दिए जाते हैं। गेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी                      अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय                      का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।                      पत्रावली फँसाले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।                      आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर  
कैम्प शिवला

